



(95)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, गवालियर केम्प, उज्जैन, म0प्र0

प्रकरण क्रमांक :-

R 36415/06

श्री अम. जी. चाटिया  
डाक अधिकारी  
पुस्तकालय  
Date 3/11/06  
On 2/10/06

लालू पिता श्री बापू बलाई, निवासी -  
ग्राम - कबूलपुर, तह0 - मोमन बडोदिया,  
जिला - शाजापुर, म0प्र0

आवेदक.

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा क्लेक्टर, शाजापुर, म0प्र0

अनावेदक.

॥ पुनःनिक्षण याचिका अन्तर्गत धारा - 50 भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन, सम्माग उज्जैन, के प्रकरण क्रमांक - 107/04-05 अपील में पारित अन्तिम आदेश दिनांक :- 24-10-2005 से असन्तुष्ट होकर आवेदक लालू पिता श्री बापू बलाई की ओर से निम्नानुसार संहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर सुनवाई किये जाने हेतु सादर प्रस्तुत हैं:-

1/- यह कि, आवेदक लालू पिता श्री बापू बलाई की ओर से एक अपील अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, उज्जैन सम्माग-उज्जैन में श्रीमान क्लेक्टर महोदय, शाजापुर, म0प्र0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक :- 30/10/2004 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। जिस पर गुण-दोषी पर विचार नहीं करते हुवें विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील निरस्त कर दी गई जिस पर अपीलाई माननीय न्यायालय से इस पुनःनिक्षण याचिका के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर सुनवाई चाहता है।

2/- यह कि, याचिका कर्ता लालू पिता श्री बापू बलाई का वासी तमसीलदार तह0 - मोमन बडोदिया द्वारा ग्राम - कबूलपुर, तह0 -

R 364-E/06 21/5/92

20-1-17

DD.

आवेदक आधिकारिका के आवेदक पक्ष पूछते हुए कहा जा सकता है कि आवेदक पक्ष के उनके आधिकारिका को क्या क्या कहा गया। परन्तु आवेदक पक्ष को कोई उपरिक्षण नहीं हुआ। अब आवेदक पक्ष को अनुपरिक्षण में अदम्पत्ति के रासारिक विषय जाता है।

अधिकारि  
का